



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-47

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	1195-1216	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1257-1262	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सहकारिता अनुभाग-1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या-606/XIV-1/2024/03(02)/2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिंह S -387, शिवालिक नगर, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड पिन 247551 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सौरभ कुमार, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8- यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-317(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-301(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-1058(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-399(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-583(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-550(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-300(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-53(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-72(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-74(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-155(एस.बी.)/2024, रिट याचिका संख्या-466(एस.बी.)/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति / नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई०

संख्या—607 / XIV-1/2024/03(02)/2024—उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० विनी यादव पुत्री श्री विरेन्द्र कुमार यादव, एम.-167, एम.डी.ए. कॉलोनी, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश पिन 244235 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— कु० विनी यादव, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-317(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-301(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-1058(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-399(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-583(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-550(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-300(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-53(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-72(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-74(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-155(एस.बी.)/2024, रिट याचिका संख्या-466(एस.बी.)/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई०

संख्या-608/XIV-1/2024/03(02)/2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह पता-ग्रा०-अथाई अहीर, पोस्ट-खटाई, तहसील-चौदपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रु० 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री रोहित कुमार, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-317(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-301(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-1058(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-399(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-583(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-550(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-300(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-53(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-72(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-74(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-155(एस.बी.)/2024, रिट याचिका संख्या-466(एस.बी.)/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई०

संख्या-609/XIV-1/2024/03(02)/2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री आशीष पुत्र श्री राकेश शर्मा, पता- ग्राम-रुहालकी दयालपुर, पोस्ट-भगवानपुर, जिला हरिद्वार, पिन-247661 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रु० 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परीवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री आशीष, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-317(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-301(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-1058(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-399(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-583(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-550(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-300(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-53(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-72(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-74(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-155(एस.बी.)/2024, रिट याचिका संख्या-466(एस.बी.)/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या-610/XIV-1/2024/03(02)/2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु0 प्रियंका घनसेला पुत्री श्री अजय घनसेला, पता-तुलाराम भट्ट विहार, इण्टर कॉलेज रोड, हरिपुर कलां, मोतीचूर, देहरादून, पिन-249205 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कु0 प्रियंका घनसेला, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-317(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-301(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-1058(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-399(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-583(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-550(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-300(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-53(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-72(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-74(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-155(एस.बी.)/2024, रिट याचिका संख्या-466(एस.बी.)/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या—611 / XIV-1/2024/03(02)/2024—उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अंकित कुमार पुत्र श्री देव प्रकाश पता—म.स.—174 बैल रोड, मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन—248002 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रु0 56,100—1,77,500 लेवल—10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित “आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम” में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री अंकित कुमार, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले “आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम” में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-317(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-301(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-1058(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-399(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-583(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-550(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-300(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-53(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-72(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-74(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-155(एस.बी.)/2024, रिट याचिका संख्या-466(एस.बी.)/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति / नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या-612/XIV-1/2024/03(02)/2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित: राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रवीण रावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह रावत, पता-म.नं.-198/3-3, ठाकुरपुर, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248007 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरो में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री प्रवीण रावत, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-317(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-301(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-1058(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-399(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-583(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-550(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-300(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-53(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-72(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-74(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-155(एस.बी.)/2024, रिट याचिका संख्या-466(एस.बी.)/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
दिलीप जावलकर,
सचिव।

श्रम अनुभाग

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या—1068/VIII-1/24-35(श्रम)/2017—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अन्तर्गत श्रम विभाग के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त के पद हेतु संस्तुत श्री शैलेश सती, पुत्र श्री पुरुषोत्तम सती, ग्राम एवं पो0 कोठुली, जिला चमोली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक श्रम आयुक्त (वेतनमान 56100-177500 लेवल-10) के पद पर अस्थायी/औपबंधिक रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

1. यदि आपके स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु यदि आपको अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तो आपकी परीक्षा काल समाप्त करते हुये उक्त नियुक्ति "अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली-1975" के प्रावधानानुसार निरस्त कर दी जायेगी।
2. संबंधित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि से पं0 दीनदयाल उपाध्याय, वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसकी सूचना उन्हें पृथक से प्रेषित की जायेगी।
3. सहायक श्रम आयुक्त को वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
4. आपको 02 वर्ष के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
5. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी पं0 दीनदयाल उपाध्याय, वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आदेश निर्गत होने से 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करते समय उनके द्वारा निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-
 - I. यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण पत्र अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
 - II. अभियोजन न चलाये जाने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र।

- III. शैक्षिक योग्यता, आयु स्थायी निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण पत्रों की 01-01 प्रमाण प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण पत्र।
- IV. सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण पत्र।
- V. चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
- VI. लिखित रूप से एक अण्डर टेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त की जायेगी। जिसके लिये वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- VII. वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो 01 से अधिक जीवित पत्नी न होने के आशय का प्रमाण पत्र।
- VIII. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो सक्रिय सेवा में हो, और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी या रिस्तेदार न हो, संलग्न करना होगा।
- IX. केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का घोषणा पत्र (यदि कोई हो)।

7. यह नियुक्ति आदेश मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 202 / 2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 219 / 2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 317 / 2022 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 289 / 2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 301 / 2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 1058 / 2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 399 / 2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 583 / 2022 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 550 / 2023(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 644 / 2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 414 / 2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 300 / 2022 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 53 / 2023(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 72 / 2023(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 74 / 2023 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 245 / 2023 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 155 / 2024(एस0बी0) एवं रिट याचिका संख्या 466 / 2024 (एस0बी0) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या—1072 / VIII-1/24-35(श्रम)/2017—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित, उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अन्तर्गत श्रम विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर के पद हेतु संस्तुत श्री अमन चन्द्रा, पुत्र श्री सुभाष चन्द्रा, 6-1/9A, मेंहेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर (वेतनमान 56100-177500 लेवल-10) के पद पर अस्थायी/औपबंधिक रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

1. यदि आपके स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु यदि आपको अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तो आपकी परीक्षा काल समाप्त करते हुये उक्त नियुक्ति "अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली-1975" के प्रावधानानुसार निरस्त कर दी जायेगी।
2. संबंधित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि से पं0 दीनदयाल उपाध्याय, वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसकी सूचना उन्हें पृथक से प्रेषित की जायेगी।
3. सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर को वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
4. आपको 02 वर्ष के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
5. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी पं0 दीनदयाल उपाध्याय, वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आदेश निर्गत होने से 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करते समय उनके द्वारा निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-
 - I. यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण पत्र अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

- II. अभियोजन न चलाये जाने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र।
- III. शैक्षिक योग्यता, आयु स्थायी निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण पत्रों की 01-01 प्रमाण प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण पत्र।
- IV. सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण पत्र।
- V. चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
- VI. लिखित रूप से एक अण्डर टेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त की जायेगी। जिसके लिये वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- VII. वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो 01 से अधिक जीवित पत्नी न होने के आशय का प्रमाण पत्र।
- VIII. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो सक्रिय सेवा में हो, और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी या रिस्तेदार न हो, संलग्न करना होगा।
- IX. केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का घोषणा पत्र (यदि कोई हो)।

7. यह नियुक्ति आदेश मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 202/2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 219/2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 317/2022 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 289/2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 301/2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 1058/2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 399/2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 583/2022 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 550/2023(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 644/2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 414/2022(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 300/2022 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 53/2023(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 72/2023(एस0बी0), रिट याचिका संख्या 74/2023 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 245/2023 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 155/2024(एस0बी0) एवं रिट याचिका संख्या 466/2024 (एस0बी0) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

आज्ञा से,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई०

संख्या-469 / XIV-2/2024/01(05)/2017/E-78768-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री कुलश्रेष्ठ फुलोरिया, पुत्र श्री पूरन चन्द्र फुलोरिया, ग्राम आदिग्राम फुलोरिया, पो0ऑ0 मासी, जनपद अल्मोड़ा, पिन-263658 को उत्तराखण्ड गन्ना-चीनी(राजपत्रित) सेवा के अन्तर्गत सहायक गन्ना आयुक्त (वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान प्रस्तुत करने की तिथि से आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- श्री कुलश्रेष्ठ फुलोरिया, पुत्र श्री पूरन चन्द्र फुलोरिया डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अहर्ता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें "उत्तराखण्ड गन्ना-चीनी(राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2010" एवं राजकीय सेवाओं की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय एवं अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
- (2) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा(यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (3) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
- (4) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
- (5) इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अहर्ता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
- (6) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधि जीवित पति/पत्नी न होने संबंधी प्रमाण-पत्र।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-317(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-301(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-1058(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-399(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-583(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-550(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-300(एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-53(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-72(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-74(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023, रिट याचिका संख्या-155(एस.बी.)/2024, रिट याचिका संख्या-466(एस.बी.)/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9— संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक गन्ना आयुक्त के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुति करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

आज्ञा से,

विजय कुमार यादव,

सचिव।

राजस्व अनुभाग-3

शुद्धि-पत्र

22 अक्टूबर, 2024 ई०

संख्या-618/XVIII(3)/2024-03(06)/2016-उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं०-210/XVIII(3)/2016-03(06)/2016, दिनांक: 28 अप्रैल, 2016 के हिन्दी पाठ की अनुसूची में, शब्द और अंक "भूमि का क्षेत्रफल हे० 603.8000" के स्थान पर शब्द और अंक "भूमि का क्षेत्रफल हे० 660.3470" पढ़ा जाए।

2. उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी।

डॉ सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव, राजस्व।

CORRIGENDUM

October 22, 2024

No.618/XVIII(3)/2024-03(06)/2016--In the Schedule of english version of notification no. 210/XVIII(3)/2016(03)(06)/2016, dated April 28, 2016 of Uttarakhand Government, for the word and figure "Area Hectare 603.8000" read word and figure "Area Hectare 660.3470"

2. The said notification is amended to this extant.

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary, Revenue.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल कार्यालयादेश

19 जुलाई, 2024 ई०

पत्रांक:—2446/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2024—श्री कृष्णा नन्द भट्ट पुत्र श्री टीका राम निवासी— चंगेठी, भनौली जिला—अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड का दिनांक 07.06.2024 को वाहन संख्या यू०के० 04 पी० —3839 को निकट गुलाबघाटी, काठगोदाम पर शराब पीकर वाहन संचालन, खतरनाक संचालन, बिना इंश्योरेंस, बिना आर०सी० एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जनपद—नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK01-201000006093 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम—1988 की धारा—19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK01-201000006093 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

19 जुलाई, 2024 ई0

पत्रांक:-2447/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2024-श्री मोहन सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह बिष्ट निवासी- ग्राम रोल, काफलानी थाना दन्या जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड का दिनांक 08.06.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 टी0ए0 -3548 को निकट मल्लीताल, नैनीताल पर शराब पीकर वाहन संचालन एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली-मल्लीताल जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0120190049650 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0120190049650 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

19 जुलाई, 2024 ई0

पत्रांक:-2448/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2024-श्री ललित ताकुली पुत्र श्री मोहन सिंह ताकुली निवासी- म0स0-72 बुखमबोरी, कम्पाउण्ड मल्लीताल, जिला-नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 17.05.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 टी0ए0 -4354 को निकट काठगोदाम पुलिस चौकी, हरिगढ़ दलीप सिंह, गुरुद्वारे के सामने खतरनाक वाहन संचालन, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, ओवरस्पीड एवं शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420170179259 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420170179259 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

25 जुलाई, 2024 ई0

पत्रांक:-2586/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2024-श्री संदीप सिंह पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह निवासी- जीतपुर निगलटिया, हल्द्वानी जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड का दिनांक 13.06.2024 को चालान संख्या HP22273240613210824 द्वारा मनाली, हिमाचल प्रदेश में शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना मनाली, हिमाचल प्रदेश द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420050065391 के विरुद्ध निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420050065391 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

22 अगस्त, 2024 ई०

पत्रांक:-2968/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2024-श्री शिव सिंह धपोला पुत्र श्री ललित सिंह धपोला निवासी-इन्द्रानगर-2, बिन्दुखता गागा, लालकुड़ा जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड का दिनांक 25.02.2024 को वाहन संख्या KA06EP-2380 द्वारा श्री रामदेव ग्लास एंड प्लाईवुड शोप, कोगीलू मेन रोड, येलांका बैंगलूरु में खतरनाक संचालन किये जाने पर दूसरी स्कूटी को टक्कर मारने से सड़क दुर्घटना की गयी जिसमें स्कूटी सवार लेडी पूजा सेठी उम्र 21 की दिनांक 29.02.2024 उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। ट्रैफिक पुलिस येलांका, बैंगलूरु सिटी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420220005825 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420220005825 को निरस्त करता हूँ।

विपिन कुमार सिंह,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

हल्द्वानी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

29 जून, 2024 ई०

पत्रांक:-725/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK05TA2688 (Motor Cab) मॉडल 2017 चैचिस MA3EUA61S00B84934 इंजन न० F8DN5941755 श्री मनोज कुमार पुत्र श्री उमेश राम निवासी-तड़ीगांव डोबाभागू, लोहाघाट, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 26/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है, वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK05TA2688 (Motor Cab) मॉडल 2017 चैचिस MA3EUA61S00B84934 इंजन न० F8DN5941755 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जून, 2024 ई0

पत्रांक:—726/पंजीयन निरस्त/2024—25—वाहन संख्या UK03CA1016 (LGV) मॉडल 1998 चैचिस 38604LQQ822611 इंजन न0 CRQ109332 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री संतोष सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी—नगवाठगू, खटीमा जिला उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। दिनांक 24/05/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03CA1016 (LGV) मॉडल 1998 चैचिस 38604LQQ822611 इंजन न0 CRQ109332 इंजन न0 D13A2100062 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जून, 2024 ई0

पत्रांक:—727/पंजीयन निरस्त/2024—25—वाहन संख्या UK06CB2156 (LGV) मॉडल 2001 चैचिस MA1ZN2GGA81L58898 इंजन न0 GG81L55393 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री संजय जोशी पुत्र श्री राम दत्त जोशी निवासी—थवालखेड़ा टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK06DB2156 (LGV) मॉडल 2001 चैचिस MA1ZN2GGA81L58898 इंजन न0 GG81L55393 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जून, 2024 ई0

पत्रांक:—728/पंजीयन निरस्त/2024—25—वाहन संख्या UK03CA0879 (Excavator (Commercial)) मॉडल 2013 चैचिस 610C217322 इंजन न0 4H32051320073 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन हिलवेज कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0 लोहाघाट चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 28/06/2024 को वाहन स्वामी/कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन स्वामी कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा चैचिस के टुकड़े की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03CA0879 (Excavator (Commercial)) मॉडल 2013 चैचिस 610C217322 इंजन न0 4H32051320073 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जून, 2024 ई०

पत्रांक:-729/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UA032261 (MAXI CAB) मॉडल 2004 चैचिस 32L20548 इंजन न० AB34L90948 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री प्रकाश सिंह मेहरा पुत्र श्री एन.एस.मेहरा निवासी-थुवामेहरा लोहाघाट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 25/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन स्वामी द्वारा चैचिस के टुकड़े की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UA032261 (MOTOR CAB) मॉडल 2004 चैचिस 32L20548 इंजन न० AB34L90948 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जून, 2024 ई०

पत्रांक:-730/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03TA0853 (MOTOR CAB) मॉडल 2015 चैचिस MA3EUA61S00598668 इंजन न० F8DN5382211 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री रमेश सिंह फर्त्याल पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी-ग्राम-चौमेल कर्णकरायत लोहाघाट चम्पावत के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी की मृत्यु उपरान्त वाहन के कब्जे वाले उत्तराधिकारी रेखा देवी पत्नी स्व० श्री रमेश सिंह फर्त्याल द्वारा दिनांक 26/06/2024 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03TA0853 (MOTOR CAB) मॉडल 2015 चैचिस MA3EUA61S00598668 इंजन न० F8DN5382211 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जून, 2024 ई०

पत्रांक:-731/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03CA1621 (HGV) मॉडल 2012 चैचिस MAT448035CAH06679 इंजन न० 21H84067657 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री अभिषेक सिन्हा पुत्र श्री अनिल प्रसाद सिन्हा निवासी-ओम धर्मकांटा विष्णुपुरी कालोनी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 14/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03CA1621 (HGV) मॉडल 2012 चैचिस MAT448035CAH06679 इंजन न० 21H84067657 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जून, 2024 ई0

पत्रांक:—732/पंजीयन निरस्त/2024-25—वाहन संख्या RJ05G3349 (HGV) मॉडल 2003 चैचिस 426021AWZ000514 इंजन न0 30H62252893 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री सुनिल पुत्र श्री कृष्णलाल निवासी—गुरुद्वारा वार्ड नम्बर 03 खटीमा जिला उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। दिनांक 13/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या RJ05G3349 (HGV) मॉडल 2003 चैचिस 426021AWZ000514 इंजन न0 30H62252893 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जून, 2024 ई0

पत्रांक:—733/पंजीयन निरस्त/2024-25—वाहन संख्या UK03CA0552 (HGV) मॉडल 2013 चैचिस MAT448035DAF04847 इंजन न0 31E84112088 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा पुत्र श्री मगन प्रसाद सिन्हा निवासी—ओम धर्मकांटा विष्णुपुरी कालोनी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 14/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03CA0552 (HGV) मॉडल 2013 चैचिस MAT448035DAF04847 इंजन न0 31E84112088 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)।